

विषय - संविधान एवं राज्यपाल
दिनांक - 10/08/2020

VIJAYANT

REG NO.

DATE

PL1

प्रश्न 1(A)

उत्तर -

1909 का अधिनियम - 1909 ईस्वी में लये गये इस सुधार अधिनियम को मार्ले मिण्टो सुधार भी कहा जाता है। इसके माध्यम से मुसलमानों के लिए प्रथक निर्वाचन की व्यवस्था की गयी थी।

उत्तर

1(B)

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्ताव किया गया। इसमें भारतीय संविधान के दर्शन की झलक थी।

रकी काल, पु (1/1/11)

उत्तर

1(C)

सरकार की संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें बहुमत यात दल का शासन होता है।

काटविक, कामगार


उत्तर

1(D)

उत्तर
1(E)

श्रेणीय परिषद


अंतर्गत श्रेणीय परिषद का प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के



जान -


उत्तर
1(F)

अनुच्छेद 13 के अंतर्गत न्यायपालिका, ऐसी विधियों को शुभ्य घोषित कर सकती है, जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो।



उत्तर
1(G)


भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत निवारक निरोध अधिनियम का उल्लेख है। इसके अंतर्गत संसद मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है।



उदा - 1

उत्तर
1(H)

मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद् का ही एक भाग है जिसमें जो मंत्रिपरिषद् से अधिक शक्ति शाली होता है।



उत्तर
I (I)

उत्तर
I (J)

यहाँ लुप्त
अक्षरों का
संकेत है

उत्तर

I (K) भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को
कायम करने के लिए सन् 2009 में प्रतिस्पर्धा आयोग
का गठन किया गया है।

2003

उत्तर

I (L) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 241 में संचित निधि का
वर्णन है। भारत सरकार की समस्त आय सर्वप्रथम
संचित निधि में ही जमा हो जाती है।

11
2

उत्तर

3(m)

भारत के राष्ट्रीय स्तर के दल

- 1) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
- 2) भारतीय जनता पार्टी
- 3) माक्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी
- 4) राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी
- 5) वृषभदल कांग्रेस पार्टी

CP(M) BSP

उत्तर

1(N)

CP(N)
NPP

उत्तर

1(0)

तदर्थ न्यायधीश - पूर्णतः पदस्थापना से पूर्व नियुक्त न्यायधीश तदर्थ न्यायधीश कहलाते हैं।

उत्तर

2(A)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति, भारत अधवा इसके किसी भू-भाग को स्वतंत्रा उत्पन्न होने पर राष्ट्रीय आपातकाल को घोषणा कर सकते हैं। इसके निम्न आधार हो सकते हैं -

- (i) युद्ध
- (ii) बाह्य आक्रमण
- (iii) सशस्त्र विद्रोह
- (iv) आतन्-स्वतंत्रा अर्थात् उपरोक्त तीनों कारणों का आभास होने पर।

~~आतन्~~

युद्ध अधवा बाह्य आक्रमण के आधार पर जारी आपातकाल बाह्य आपातकाल के नाम से जाना जाता है जबकि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जारी आपातकाल आंतरिक आपातकाल कहलाता है।

'सशस्त्र विद्रोह' शब्द पूर्व संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जोड़ा गया है।

उत्तर

2(B)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 158 से 171 तक भारत के निर्देशक एवं महालेखा परीक्षक (जैसे) का वर्णन है। इसकी कर्तव्य एवं शक्तियों के निर्धारण हेतु संसद द्वारा 'महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971' पारित किया है, जिसके अनुसार इसके निम्न कर्तव्य एवं शक्तियाँ प्राप्त हैं -

~~महालेखा परीक्षक~~

- वह भारत ही सेनित निधि, ए ~~अ~~ प्लेठ राज्य की सेनित निधि की लेखा परीक्षा करता है
 - वह केंद्र और राज्य सरकारों की आय एवं व्यय की लेखा परीक्षा करता है
 - वह सरकार के लाभ-हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है
 - वह औचित्य लेखा परीक्षा, निष्पादन लेखा परीक्षा आदि भी करता है।
- स्पष्ट है कि लेखा परीक्षा के संदर्भ में केंद्र को के विस्तृत अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित हैं।

उत्तर

2(1) भारत में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। स्थानीय शासन के रूप में इसका निम्न महत्व है -

- (i) इसने सामाजिक एवं पञ्चासनीय विके-डीकरण को बढ़ावा दिया है।
- (ii) समाज के निचले तबके को भी सक्रिय भागीदारी निभाने का अवसर मिला है।
- (iii) महिलाओं एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति को स्थान करने से उनका सशक्तिकरण हुआ है।
- (iv) स्थानीय स्तर पर राजनैतिक चेतना का विकास होने से, स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना हुई है।

उपरोक्त के अतिरिक्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, भूमि सुधार, कृषि एवं पंचजल ~~संबंधी~~ तथा रोजगार संबंधी कार्यक्रमों को लागू करने में सफलता मिली है।

पारदर्शी पुडिंग

उत्तर
2(E)

लोकलैरवा समिति का गठन सर्वप्रथम सन् 1921 में किया गया था तब से यह अस्तित्व में है। इसकी श्रमिका निम्नांकित है - (संयुक्त)

यह नियंत्रक एवं महलैरवा परीक्षक के पदों की जांच कर सरकार कार्यपालिका की जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करती है।

यह सीरुजी के पथ पदों की श्रमिका निभाती है।

यह भारत सरकार के विभिन्न लैरव एवं विल लैरव की जांच करती है। जिसमें सरकार का वैधानिक अधिकार सुनिश्चित किया जाता है।

इस प्रकार इस समिति की श्रमिका कार्यपालिका के उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है।

उत्तर
2(F)

भारतीय संविधान सकारत्मकता के झुकाव के साथ संघीय संविधान है। इसके प्रमुख सकारत्मक लक्षण निम्न हैं -

- (i) संविधान का लचीलापन।
 - (ii) सकल संविधान।
 - (iii) सकल नागरिकता।
 - (iv) सकल न्यायपालिका।
 - (v) संसद को राज्य सूची के विषयों पर अधिकार बनाने का अधिकार।
 - (vi) राज्यपाल का पद।
 - (vii) आपातकालीन उपबंध (अनुच्छेद 352, 356, एवं 360)।
 - (viii) संघ राज्यों के विषयों पर राष्ट्रपति को विशेष पावर।
 - (ix) राज्यों को आसमान प्रतिनिधित्व।
 - (x) राज्यों को केन्द्र पर विलीन निश्चिता।
- स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में अनेक सकारत्मक तत्व मौजूद हैं।

3

21.11.21 के वीडियो के कर्न करती।

उत्तर
२(व)

न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। इस अधिकार का उपयोग करते हुए वह विधायिका एवं कार्यपालिका के कार्यों की जांच कर सकता है। एवं ऐसे सभी कार्यों एवं नीतियों को अवैधानिक घोषित कर सकता है जो जो संविधान के किसी भी भाग या अनुच्छेद का अतिक्रमण करती हो।

अनुच्छेद 13:- राज्य द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों को उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैधानिक घोषित कर सकता है।

अनुच्छेद 32:- मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर उच्चतम न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है।

अनुच्छेद 132:- संविधान की व्याख्या के संबंधित मामलों पर निर्णय देने का मौलिक अधिकार उच्चतम न्यायालय को है।

किसी - 157

राष्ट्रीय अखिल

उत्तर
2(H)

भारतीय सेविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा के गठन का प्रावधान है। अखिल भारतीय सेवाओं का मुख्य पुलिस राज्य में भी स्पर्ध था, परंतु वर्तमान कल्याणकारी राज्य में इसकी भूमिका में और अधिक वृद्धि हुई है। जो कि इसकी आवश्यकता को निम्नानुसार समझा जा सकता है -

- नीतियों के क्रियान्वयन हेतु मुख्य एजेंसी हैं।
- लोक कल्याणकारी राज्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु।
- लोक-पूजालन के बढ़ते दायरे को सही दिशा प्रदान करने हेतु।
- नागरिक सेवा आपूर्ति हेतु।

राष्ट्रीय महिला

उत्तर
2(K)

राष्ट्रीय महिला आयोग एक अविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत 1992 में की गयी है।

संरचना -

अध्यक्ष			
1	2	3	4
4 सदस्य			

कार्य - महिलाओं संबंधी मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना।
महिला संरक्षण संबंधी कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा करना।

21st March 2019

महिला उत्पीड़न संबंधी शिकायतों की जांच करना एवं इस संबंध में सरकार को सलाह देना।

असहाय एवं परित्यक्त महिलाओं को राहत प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाना।

हाल ही में इसने लोकसभा एवं राज्य विधान सभाओं में महिला आरक्षण के पक्ष में एक विशाल जनमत तैयार किया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त दुर्गर के बृहते मामले को देखते हुए 'फास्ट ट्रैक कोर्ट' बनाने की सिफारिश की महिला आयोग ने की है।

जनता का

उत्तर

24) जन भागीदारी की अवधारणा अत्यधिक प्राचीन है, जिसका सर्वप्रथम प्रमाण 'प्राचीन यूनान की शासन व्यवस्था' में मिलता है।

नागरिकों का नीति निर्माण, क्रियान्वयन तथा समीक्षा गतिविधियों में सम्मिलित होना जन भागीदारी या जन सहभागिता कहलाता है।

स्टेसीन के अनुसार - " भागीदारी प्रशासन कार्य में एक प्रकार का नागरिक हस्तक्षेप है।"

(i) अत्यधिक जन भागीदारी से शासन की गतिशीलता प्रभावित होती है।

(ii) प्रशासन का राजनीतिकरण होता है।

(iii) कई बार प्रशासन का हीड़ तंत्र में बदल जाता है।

(iv) इसके अलावा जनता का अपेक्षित

व्यवहार, प्रशासन की जड़ता, अधिशासिता, ग्रामीण
कठिवायिता, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव
आदि जनसहभागिता के मार्ग में बाधा
उत्पन्न करते हैं।

उत्तर
(3A)

भारतीय संविधान का भाग-3 मूल अधिकारों से संबंधित है। इसे 'भारत का मैगनाकार्टा' कहा जाता है। यह भाग अनुच्छेद 12 से 35 तक विस्तृत है।

इस भाग अनुच्छेद 19 से 22 तक 6-पुकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। मूल संविधान में इनकी संख्या 4 थी, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम '1978 द्वारा 'संपत्ति के अधिकार' को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है।

वर्तित वर्तमान में भाग 3 में वर्तित स्वतंत्रता के प्रावधान निम्नानुसार हैं -

अनुच्छेद 19(i) - वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

यह प्रत्येक व्यक्ति को विचारों को अभिव्यक्त करने मत देने एवं अपनी बात स्वतंत्रता पूर्वक रखने का अधिकार देता है।

ऐसे ही स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19(ii)(v) में वर्णित है।

अनुच्छेद 19(ii) - भांतिपूर्व सम्मेलन की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 19(iii) - संगम या संघ बनाने का अधिकार

अनुच्छेद 19(iv) - भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार।

1. अनुच्छेद 19(D)

भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में बस जाने, निवास करने का या निर्वासन देने का अधिकार।

2. अनुच्छेद 19(E) - कोई भी व्यक्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार।

3. अनुच्छेद 20 - अपराध के लिए दोष-सिद्धि के संबंध में संरक्षण यह किसी भी व्यक्ति या अभियुक्त को मारने एवं अनिश्चित दण्ड से बचाता है।

4. अनुच्छेद 21 - प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार

इसमें घोषणा की गयी है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जायेगा, अन्यथा नहीं।

5. अनुच्छेद 21(A) - शिक्षा का अधिकार

86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा प्रत्यापित इस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क, अनिवार्य तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था की गयी है।

6. अनुच्छेद 22 - निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण

यह अनुच्छेद किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है।


VJAYANT
PAGE NO.:
DATE:

9/14

स्पष्ट है कि भारतीय संविधान के
भाग - 3 में नागरिकों को स्वतंत्रता के पर्याप्त
अधिकार सदान किये गये हैं।

उत्तर
3B

भारत का सर्वोच्च न्यायालय - संघीय न्यायालय
अंतिम अपील न्यायालय, न्यायिक न्यायालय, न्यायिक न्यायालय
का व्यक्तित्व एवं गारंटर है। अतः इसके पास
पर्याप्त क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ हैं। जो
निम्नानुसार हैं -



मुख्य क्षेत्राधिकार - इसके अंतर्गत यह संघीय न्यायालय की
विभिन्न इकाइयों महत्व विवाद उत्पन्न होने पर
संघीय न्यायालय की तरह निर्णय देता है।

2. न्यायादेश श्रेणाधिकार

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर यह 05 प्रकार की रिबे जारी कर सकता है जो निम्नानुसार हैं -

- (i) बंदी मुक्तिकरण
- (ii) परमादेश
- (iii) अधिकार सुरक्षा
- (iv) ऋ-परिषेध
- (v) उत्प्रेषण

असुरक्षित संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को मूल न्यायाधिकार प्राप्त हैं।

3. अपील श्रेणाधिकार

इसे उच्चतम अपील श्रेणाधिकार माना है। इसके अपील श्रेणाधिकार को निम्न 04 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है -

- (i) संवैधानिक मामले - 133
- (ii) दीवानी मामले - 132
- (iii) आपराधिक मामले - 134
- (iv) उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति से कोई मामला।

4. सलाहकारी शक्तियाँ

अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से निम्न प्रकार के मामलों

में सलाह ले सकता है -

- (i) सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर विधिक मेशन उठने पर।
- (ii) किसी पूर्व संवैधानिक सेवि, समझौते, संपत्ति या सनद आदि मामलों में विवाद उत्पन्न होने पर।

5. अभिलेख न्यायालय - 129

इस रूप में इसके पास निम्न दो शक्तियाँ हैं -

- (i) उच्चतम न्यायालय के फैसले एवं काफ़ी सार्वकालिक अभिलेख एवं साक्ष्य के रूप में रखे जायेंगे।
- (ii) इसकी अनुमति करने पर, यह दंडित कर सकता है।

6. न्यायिक सहायता की शक्ति - 137

इसके अंतर्गत वह केन्द्र एवं राज्य दोनों स्तर की न्यायिक विधायी व कार्यकारी आदेशों की सहायता कर सकता है। इसके निम्न आधार होते हैं -

- विधि मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं।
- यह निर्धारित प्राधिकार से बाहर है।
- संवैधानिक उपबंधों का उल्लंघन करती हैं।

21 विधान संशोधन

अन्म शक्तियाँ

उपर वर्णित शक्तियों के अन्वया यह
 पुराणपति, उपराणपति के दुर्गाके का निपतारा,
 विशेष लक्ष सेवा आयोग के सदस्यों की जांच
 अपने स्वयं के फैसले की लक्षिका करना
 लक्षित मामलों को अपने पास भंगवाना
 सेविचान के इच्छावा व्याख्याता हर
 देका के सभी न्यायालयों एवं पंचायत
 के क्रियाकलापों पर इसका विद्वरण है।

इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय को विस्तृत
 क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ प्राप्त हैं।

~~मौखिक
 शक्तियों
 का अन्वय
 139(A)~~